*1571. Sh. Chiranjeev Rao, M.L.A:-

"Will the Chief Minister pleased to state whether it is a fact that HSVP has changed its policy relating to alternative plots, from retrospective date in state, if so the reason thereof?"

REPLY

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

Yes, Sir.

The Policy regarding allotment of alternative plots has been changed and circulated vide letter no. 194927 dated 15.11.2021. This policy is not applicable with retrospective effect but is applicable only to the allottees whose cases did not attain finality. This policy is on the basis of decision of Hon'ble Punjab and Haryana High Court in CWP No. 21830 of 2020 titled as Ajit Singh Vs HSVP and others.

वैकल्पिक प्लॉटो की नीति

' 1571 श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए.: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि एच. एस.वी.पी. ने राज्य में पूर्व प्रभावी नीधि से वैकल्पिक प्लॉटों से संबंधित अपनी नीति बदल दी हैय यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हॉं, श्रीमानजी।

वैकल्पिक भूखंडों के आबंटन के संबंध में नीति को बदलने उपरान्त, परिचालित पत्र संख्या 194927 दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से जारी किया गया है। यह नीति पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं है, लेकिन केवल उन आबंटियों पर लागू होती है जिनके मामले अंतिम रूप तक नहीं पहुंचे हैं। यह नीति माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी संख्या 21830 आफँ 2020 में अजीत सिंह बनाम हशविप्रा और अन्य शीर्षक के निर्णय के आधार पर है1